नम्बर /वर्ष 360/2024 अनवानी रामेश्वर बनाम कृष्णा

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
24.09.2025 24/10/25	वकुलाय फरिकेन उपस्थित प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24/10/25 को पेश हो Rahul. हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। विवेचन किया गया हैः– प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी/अप्रार्थी ने हस्तगत वाद जमाबन्दी में दर्ज व हक व हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन करवाने का प्रस्तत किया गया है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 ने राजु बनाम कृष्णा आदि वाद संख्या 1055/2024 न्यायालय हाजा में ईश्तकरार हक , खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जिसमें विवादित भूमि में पक्षकारो का हक व हिस्सा सही तोर से दर्ज नही है इसलिये जब तक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 एवं अन्य पक्षकारो का हक हिस्सा का फैसला नही हो जाता तब तक अनवानी वाद में किसी प्रकार का खाता विभाजन नही किया जा सकता है इसलिये अनवानी वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 के द्वारा प्रस्तुत वाद राजु बनाम कृष्णा आदि वाद संख्या 1055/2024 एवं अनवानी वाद में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान है इसलिये दोनो दावो में सामान्तर कार्यवाही नही चल सकती है इसलिये राजु आदि बनाम कृष्णा आदि वाद संख्या 1055 /2024 के निर्णय तक हस्तगत वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद की कार्यवाही को वाद संख्या 1055/2024 के निर्णय तक स्थगित रखे जाने के आदेश फरमावे। वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अनवानी वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 एक पक्षकार है जिसको जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किये जाने पर जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ है जिसके बावजुद भी प्रार्थी ने अन्य खाता विभाजन का वाद पेश कर हस्तगत वाद की कार्यवाही को स्थगित करने का कथन किया है हस्तगत वाद खाता विभाजन का है व प्रार्थी को भली भाती ज्ञान है कि खाता विभाजन बाबत मेरे वाद से पूर्व में वाद जैरकार है तथा खाता विभाजन के वाद में देरीना करने की नियत से प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी को वादी के वाद में कोई एतराज है तो वह इसी वाद में अपना प्रतिदावा/काउन्टर क्लेम पेश कर अपना उजर जाहीर कर सकता था मगर प्रार्थी सिर्फ वाद में जो खाता विभाजन का है में देरीना करना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिजनेबल ग्राउण्ड पर पेश नही किया गया है क्लिन हैण्ड से नही आया है ना ही 10 सीपीसी का कोई भी इनग्रेटश पुरे करता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है प्रार्थी के वाद राजू बनाम कृष्णा 1055/2024 की कार्यवाही को स्थगित रखने का आदेश फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सु[illegible] पत्र[illegible]ी में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया हस्तगत वाद [illegible] खाता विभाजन का है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 [illegible] 188 आरटीएक्ट [illegible]त प्रस्तुत कर सयुक्त खातेदारो की हिस्स[illegible] कस्सी सही करने के [illegible]न्त खाता विभाजन का है	

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 के वाद संख्या 1055/2024 का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने अंकित किया है कि वाद भूमि मे से गन्धेली से साहवा पेयजल योजना नहर में भूमि अवाप्त की गई थी जिसका मुआवजा भी तय किया गया था जो सभी सयुक्त खातेदारो की सहमति से उदाराम पुत्र जीवण ने प्राप्त किया गया था किन्तु नहर में अवाप्त भूमि उदाराम के खाते से कम ना की जाकर अलग से दर्ज हो गई जिसके कारण काश्तकार के खाते से भूमि कम नही हुई जिसके कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज नही हुई है हिस्सा कस्सी सही दर्ज होने के बाद ही खाता विभाजन हो सकता है अन्यथा नहर में अवाप्त हुई भूमि का हिस्सा कम नही होगा व सम्बधित काश्तकार का खाता अलग से दर्ज हो जावेगा जिससे अन्य सयुक्त खातेदारो को हानी होगी

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 का वाद हिस्सा कस्सी सही करने के उपरान्त खाता विभाजन का है तथा हस्तगत वाद केवल जमाबन्दी में दर्ज अनुसार सयुक्त खातेदारो के हक हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन का है

यदि हस्तगत वाद के अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो नहर में अवाप्त हुई भूमि एव मुआवजा जिस काश्तकार के द्वारा प्राप्त किया गया है की भूमि में से नहर में अवाप्त भूमि कम नही होगी और खाता अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जावेगा जिससे मुकदमे बाजी बढेगी जो विधि सम्मत नही है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त तौर से दर्ज है में से नहर मे आवप्त हुई भूमि को कम करने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खातेदारो की हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज होने के उपरान्त ही खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

हस्तगत वाद एवं प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 के वाद संख्या 1055/2024 में पक्षकार एक एवं भूमि एक समान है जिसके सम्बध में उभयपक्षों का कोई ऐतराज नही है

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद भूमि में पूर्व में गन्धेली से साहवा पेयजल नहर में भूमि अवाप्त की गई थी नहर में अवाप्त भूमि का मुआवजा भी प्राप्त किया गया था यह तथ्य वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की मुआवजा किसके द्वारा प्राप्त किया गया था और नहर में किस काश्तकार की भूमि गई है और किसके खाते से नहर मे अवाप्त भूमि को कम किया जाना है उसके उपरान्त ही खाता विभाजन किया जाना विधि सम्मत है वर्तमान स्थिति अनुसार खाता विभाजन किया जाना विधि सम्मत नही है अतः हस्तगत वाद की कार्यवाही प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 के वाद संख्या 1055/2024 अनवानी राजू बनाम कृष्णा के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है पत्रावली उक्त वाद के निस्तारण तक दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested